27/7/2017 पत्रावली पेश हुई। गैर सायल हाजिर। पत्रावली का अवलोकन
किया, संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का
मेड़ास ने मौजा लाडवा के ख० न० 612 रकबा 50 वर्गमीटर
किस्म भूमि गै० मु० रास्ता पर सम्वत 2074 से कब्जा काश्त कर
भंवरा राम पुत्र नारायणराम निवासी के विरुद्ध कोर्ट द्वारा रास्ते पर
अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में पी० पी० रिपोर्ट पेश की गई।
जिस पर इस न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम
1956 की धारा 91 के अन्तर्गत साधारण प्रकरण दर्ज कर गैर सायल
के विरुद्ध LRAct 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया
गया गैर सायल उपस्थित हुआ उसे सुना गैर सायल दिनांक 18/7/
को उपस्थित हुआ उसे सुना गया गैर सायल ने नाजायज रूप से
सरकारी भूमि गै० मु० रास्ते पर अतिक्रमण करने के कारण अति-
क्रमित किया गया सरकारी भूमि गै० मु० रास्ते पर किये गये
से जो निज रूप से बेदखल करने एवं सरकार के लगान का
गुणा शास्ति राशि 2/- (दो रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं।
पटवारी हल्का मेड़ास को गै० निज बेदखली एवं आरोपित शास्ति
राशि की वसूली हेतु लिखा जाकर पत्रावली सुर्खियां भोग काम
हेतु पे० दायरे से खारिज की जाकर पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।
आदेश के रूप में लिखित खुला दिनांक 27/7/2017 को खुले
न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)

27/7/2017 पत्रावली पेश हुई और सायल हाजिर। पत्रावली का अवलोकन किया संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि पटवारी हल्का मेड़ास ने मौजा लाडवा के ख० न० 612 रकबा 5.0 हेक्टेयर किस्म भूमि गै० मु० रास्ता पर रकबा 0.074 के करीब पर [illegible] भीखाराम पुत्र गाट निवासी के विरूद्ध कोई द्वारा रास्ते पर अतिक्रमण करने के सम्बन्ध में पी.पी. रिपोर्ट पेश की गई। जिस पर इस न्यायालय में राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत सामान्य प्रकरण दर्ज कर अतिक्रमी के विरूद्ध LRAct 1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया और सायल उपस्थित हुआ उसे सुना और सायल दिनांक 18/2[illegible] को उपस्थित हुआ एवं सुना गया और सायल ने राजीनामा प्रस्तुत कर राजकीय भूमि गै० मु० रास्ते पर अतिक्रमण करने के कारण अतिक्रमी घोषित किया जाकर राजकीय भूमि गै० मु० रास्ते पर किये [illegible] के [illegible] बेदखल करने एवं सरकारी लगान का [illegible] गुणा शास्ति राशि 2/- (दो रुपये मात्र) कायम किये जाते हैं। पटवारी हल्का मेड़ास को अतिक्रमी बेदखली एवं आरोपित शास्ति राशि की वसूली हेतु लिखे जाकर पत्रावली शास्ति [illegible] हेतु [illegible] गई। पत्रावली फैसल शुमार हो सम्बन्ध के कार्य से निर्णय आज दि० 27/7/2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार, रियां बड़ी
(नागौर - राजस्थान)